**भारत सरकार**

**श्रम एवं रोजगार मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1051**

**बुधवार, 29 जुलाई, 2015/ 7 श्रावण, 1937 (शक)**

**भविष्य नि‎धि से परिपक्वता अविध से पूर्व निकासियों पर टीडीएस**

**1051. श्री रंजिब बिस्वाल:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भविष्य नि‎धि से परिपक्वता अव‎धि से पूर्व निकासियों पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में लगभग सभी श्रमिक संघों ने इस निर्णय का विरोध किया है और इसे श्रमिक विरोधी करार दिया है क्योंकि श्रमिक अक्सर घोर आवश्यकता पड़ने पर ही भविष्य नि‎धि की राशि आहरित करते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निर्णय को वापस लेने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री बंडारू दत्तात्रेय)**

(क): जी हाँ, लेकिन वित्त अधिनियम, 2015 की धारा 192क के उपबंधों के शर्ताधीन।

(ख): स्त्रोत पर कर कटौती से संबंधित उपबंध आयकर अधिनियम, 1961 में अधिनियम की धारा IV में विद्यमान हैं। तथापि, स्त्रोत पर कर कटौती के उपबंध इसमें विहित प्रक्रिया की जटिलता के कारण कार्यान्वित नहीं किए जा सके।

 कतिपय मामलों में आयकर कटौती की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए वित्त अधिनियम, 2015 में नई धारा 192क लाई गई है। धारा 192क के उपबंधों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:-

1. यदि जमा करने के पांच वर्ष बाद आहरण किया जा रहा हो, तो कोई कटौती नहीं की जाती है।

2. यदि आहरण की राशि तीस हजार रुपये से कम हो, तो आयकर की कोई कटौती नहीं की जाती है।

3. यदि लाभार्थी फॉर्म सं. 15छ/15ज, जैसा भी मामला हो, जमा करके यह सूचित करता है कि उसकी आय कर-योग्य आय से कम है, तो कोई कटौती नहीं की जाती है।

4. शेष मामलों में जहां लाभार्थी की आय कर्मचारी भविष्य निधि(ईपीएफ) में अंशदान जमा कराने वाले वर्ष में कर-योग्य थी, तो यदि लाभार्थी द्वारा स्थायी खाता संख्या (पीएएन) दी गई हो, तो स्त्रोत पर केवल 10 प्रतिशत कर कटौती(टीडीएस) की जाती है। यदि किसी कारणवश, लाभार्थी अपने पीएएन देने में असफल होता है, तो अधिकतम मामूली दर अर्थात 34.608 प्रतिशत पर आयकर की कटौती की जाती है।

(ग): इस संबंध में श्रमिक संघों से कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, उक्त उपबंध कामगार विरोधी नहीं है क्योंकि इसका आशय कम मजदूरी अर्जित करने वाले लाभार्थी के आहरण लाभों से स्त्रोत पर कर की कटौती करने का नहीं है।

(घ) और (ङ): वर्तमान में उपर्युक्त उपबंध को वापस लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

\*\*\*\*